

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

सरकार द्वारा अधिकारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरूद्ध जांच कार्य पूरा करने के लिए विशेष समय सीमा तय

Posted On: 23 JAN 2017 8:04PM by PIB Delhi

सरकार ने अधिकारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के खिलाफ जांच निश्चित समय सीमा और समयबद्ध तरीके से करने के लिए विशेष समय सीमा तय की है। कार्मिक और प्रिशक्षण विभाग के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एआईएस (डी तथा ए) नियम 1969 में संशोधन किया गया है, तािक जांच के विभिन्न चरणों की समय सीमा तय हो सके। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करना है।

संशोधित नियमों के अनुसार विभागीय जांच और रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए छह महीने की समय सीमा तय की गई है। यदि किसी मामले में छह महीने के अंदर जांच संभव नहीं होती, तो उसके उचित कारणों को लिखित रूप से रिकॉर्ड कराना, अनुशासन अधिकारी द्वारा एक समय में छह महीने से अधिक की अतिरिक्त समय सीमा नहीं दी जा सकती और इस तरह जांच पूरी करने में दायित्व सुनिश्चित होगा। दोषी अधिकारी को आरोपों पर अपनी बात कहने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है और अनुशासन अधिकारी द्वारा और 30 दिन से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी सूरत में 90 दिनों से अधिक का विस्तार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह दोषी अधिकारी पर दंड लगाने के संबंध में यूपीएससी की सलाह पर राय जाहिर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है और ऐसे प्रतिनिधित्व की समय सीमा का विस्तार 45 दिनों से अधिक नहीं किया जा सकता।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा नियमों में यह संशोधन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की शासन संचालन में किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायित्व और समय बद्ध कार्य निष्पादन की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि नियमों में नये संशोधन से समय सीमा में कार्य करने की संस्कृति मजबूत होगी और किसी तरह का ढीलापन नहीं आएगा।

इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉ.(सुश्री) रूपा अग्रवाल ने आज डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और बोर्ड के विभिन्न कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार महिलाओं, बच्चों तथा समाज के गरीब वर्गों के उत्थान से संबंधित कार्यकरमों को पराथमिकता देती है।

वीके/एजी/जीआरएस - 241

(Release ID: 1481059) Visitor Counter: 6

f







in